न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमाः– राजस्व वाद / 09 / 2017

चतरूराम पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी ग्राम बासनी हाल निवासी ढाणी खुर्द तन राजास तहसील लक्ष्मणगढ़(सीकर)

– वादी

बनाम्

1. चिमनाराम पुत्र बेगाराम
2. केशरराम पुत्र बेगाराम
3. जीवणराम पुत्र बेगाराम
   समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम बासनी हाल निवासी ढाणी खुर्द तन राजास तहसील लक्ष्मणगढ़(सीकर)
4. तहसीलदार, तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर (राज0)

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

–:निर्णयः– दिनांक – **14.06.2018**

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है यह कि आराजी खसरा नम्बर 320 / 1 रकबा 1.62 हैक्टेयर वाके ग्राम राजास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर राज. में अवस्थित आराजी है जिसे आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। यह कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 320 / 1 रकबा 1.62 हैक्टेयर वाके ग्राम राजास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर राज. में अवस्थित आराजी है भूमि भाग में से 1 / 2 हिस्सा खातेदार चन्द्रराम पुत्र परसाराम से दिनांक 22.03.1984 को वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर लिया जो दिनांक 22.03.1984 को पुस्तक संख्या 1 के भाग संख्या 49 के पृष्ठ संख्या 104 की क्रम संख्या 181 पर पंजीबद्ध किया गया है। एवं अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 भाग संख्या 22 पृष्ठ संख्या 884 पर चस्पा किया गया है उक्त दिनांक 22.03.1984 के पश्चात से लेकर आज दिवस तक आराजी पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग निरन्तर निर्बाध रुप से शांति पूर्वक चला आ रहा है लेकिन उक्त पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर आराजी की खातेदारी आज दिवस तक वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से सहवन से दर्ज नहीं हुई जिसको अब दर्ज किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को काबिज, खातेदार, काश्तकार उद्घोषित फरमाया जावें। आराजी के शेष 1 / 2 हिस्सा भूमि भाग के खातेदार पूर्व में ही वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 दर्ज है तथा आराजी सम्पूण्र पर काबिज, काश्त है पूर्व से ही 1 / 2 हिस्सा भूमि भाग पैतृक विरासतन दर्ज है तथा आराजी भी पैतृक ही है तथा विक्रेता क्रेतागण का सगा चाचा ही था तो अविवाहित था व विक्रेता चन्द्राराम फौत हो चुके है वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1ता 3 ने ही बतौर पुत्रवत इनकी सेवा की जिनके वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के अलावा कोई वारिस नहीं है।

यह कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम उक्त रजिस्टर्ड पंजीबद्ध विक्रय पत्रके आधार पर वादग्रस्त आराजी की खातेदारी दर्ज नहीं होन से इन्हें काफी असुविधाओं का सामना पड़ता है तथा मिलने वाली राजकीय सहायताओं से भी वंचित होना पड़ता है ऐसी स्थिति में पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर आराजी में खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम बराबर दर्ज करने की उद्घोषणा फरमायी जानी आवश्यक है एवं इसी विक्रय पत्र में आराजी खसरा नम्बर 319 में से 1 / 2 हिस्से भूमि भाग की खातेदारी उसी समय दर्ज हो गयी लेकिन वादीग्रस्त आराजी की खातेदारी पटवारी हल्का की सहवन से भूल हुई जिस कारण आज दिवस तक खातेदारी दर्ज नहीं हुई अब दर्ज की जानी आवश्यक है तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावें कि वे वादी के कब्जे, काश्त उपयोग में किसी प्रकार की दखलंदाजी पैदा नहीं करें।

यह कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में विक्रय पत्र पंजीबद्ध होने के कारण आराजी पर प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धांत वादी के पक्ष में बखूबी साबित होने से मामला सबल है तथा खातेदारी अपने पक्ष में उद्घोषणा करवायें जाने का अधिकारी है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह कि आराजी में विक्रय पत्र के आधार पर खातेदारी दर्ज नहीं होने की जानकारी जब वादी अपने हिस्से की भूमि का किसान कार्ड बनवाने बैंक में गया तब पता चला कि खातेदारी ही दर्ज नहीं है तो वादी ने रिकार्ड बाबत जानकारी दिनांक 01.01.2017 को होने के पश्चात से वाद कारण व हकनालिस हासिल हुआ तथा वाद संस्थित करना आवश्यक हुआ। यह कि वाद–पत्र में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पंजीबद्ध होने के कारण व प्रतिवादी संख्या 4 भू–धारक होने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाये गये है लेकिन प्रतिवादी संख्या 4 से कोई सीधी सहायता नहीं चाही गयी है। यह कि आराजी ग्राम राजास तहसील लक्ष्णगढ़ जिला–सीकर में अवस्थित होने से माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को हासिल है। यह कि वाद–पत्र उचित न्यायशुल्क पर सावधि सादर प्रस्तुत है।

यह कि वादी/प्रार्थी इस्तदुआ करता है कि वाद वादी बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण इस कदर डिक्री फरमाया जावें कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 320/1 रकबा 1.62 हैक्टेयर वाके ग्राम राजास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर राज. में अवस्थित आराजी है में से 1/2 हिस्सा जो चन्द्राराम पुत्र परसाराम के नाम से है का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम खातेदारी उद्घोषित फरमायी जावें तथा शेष 1/2 हिस्सा इनका विरासतन पैतृक है जिसकी खातेदारी पूर्व से ही दर्ज है। यह कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित फरमाया जावें कि वे वादी के एकांतिक कब्जे, काश्त, उपयोग, उपभोग में दखलंदाजी पैदा नहीं करें। यह कि अन्य न्यायोचित सहायता जो वादी प्राप्त करने का अधिकारी हो प्रतिवादीगण से दिलवायी जावें।

दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरीये नोटिस प्रतिवादीगण को तलब किया गया। जिसमें प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 कि ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित आये। प्रतिवादी सं. 2 व 3 कि ओर से प्रकरण दावा में इकबाली जवाब दावा पेश हुआ। जिसमें प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 ने मुताबिक वाद–पत्र में अंकित तथ्यों व अनुतोष के वादी का वाद डिक्री किये जाने का अनुरोध किया। साथ ही दिनांक 17.01.2018 को वादी वकील ने सूचना दी कि वाद में वर्णित चन्द्राराम पुत्र परसाराम फौत हो चुका है। इसी दौरान पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प बाटड़ानाऊ में पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों व दस्तावेजात आदि तथा इकबाली जवाब दावा का अवलोकन किया। प्रकरण दावा वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 320/1 रकबा 1.62 हैक्टेयर वाके ग्राम राजास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर राज. भूमि भाग में से 1/2 हिस्सा खातेदार चन्द्राराम पुत्र परसाराम से दिनांक 22.03.1984 को वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया था। जो कि एक पंजीकृत दस्तावेजात है जिसके आधार पर वादी के वाद में वर्णित तथ्यों, प्रस्तुत इकबाली जवाब दावा व उपलब्ध दस्तावेजात आदि के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

वादी का वाद डिक्री किया जाता है वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 320/1 रकबा 1.62 हैक्टेयर वाके ग्राम राजास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर राज. में से 1/2 हिस्सा जो चन्द्राराम पुत्र परसाराम के नाम से है, का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को अपनी क्रयशुदा हिस्सा भूमि भाग की विक्रय पत्र दिनांक दिनांक 22.03.1984 के आधार पर खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है। शेष 1/2 हिस्सा यथावत रहेगा। उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किया जावें। रहन यथावत रहेगा। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर केम्प कोर्ट बाटड़ानाऊ में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मण्गढ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस

चतरूराम बनाम **चिमनाराम आदि**

दावा बाबत उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :– 09/2017 **निर्णय दिनांक– 14.06.2018**

वादी..... व प्रतिवादीगण .....की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 14.06.2018 को अनिल कुमार, आर.ए.एस., पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

वादी का वाद डिक्री किया जाता है वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 320/1 रकबा 1.62 हैक्टेयर वाके ग्राम राजास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर राज. में से 1/2 हिस्सा जो चन्द्राराम पुत्र परसाराम के नाम से है, का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को अपनी क्रयशुदा हिस्सा भूमि भाग की विक्रय पत्र दिनांक दिनांक 22.03.1984 के आधार पर खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाता है। शेष 1/2 हिस्सा यथावत रहेगा। उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किया जावें। रहन यथावत रहेगा। पालनार्थ तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को लिखा जावे।

यह आज तारीख 14.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

मुहर

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ..... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official